

## न्यायालय, भूमि सुधार

# न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या : -06/2022-23

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

गनपत तिळू

सामुएल तोपनो

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता

क्रेता

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

01.03.23

आदेश

आवेदक गनपत तिळू पिता स्वर्ण सोनार तिळू ग्राम-कुंजला, थाना मुरहू जिला खूँटी ने सामुएल तोपनो पिता श्री सुखराम तोपनो ग्राम-कुंजला, थाना मुरहू जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा(एकड़ में)
कुंजला	249	47	710	0.08

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0164913655 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 105 दिनांक 15.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मानसिद्ध मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का 53.66 नानसीध मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार मानसिद्ध मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का 8.94 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 8.94 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 19862.00(उन्नीस हजार आठ सौ बारसठ)रु० है। विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 8.86 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूझहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदवन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण गनपत तिळू पिता स्वर्ण सोनार तिळू को सामुएल तोपनो पिता श्री सुखराम तोपनो के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं० 47 खेसरा संख्या 710 कुल रकवा 0.08 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 19862.00(उन्नीस हजार आठ सौ बारसठ)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निवंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।